

पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

# खेमपुर



गाँव - खेमपुर

पंचायत - खेमपुर

तहसील - दोवड़ा, जिला - इंगरपुर, राजस्थान

पीस

## **खेमपुर गाँव का परिचय**

खेमपुर गाँव खेमपुर ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है जो कि जिला कार्यालय इंगरपुर से 35 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। खेमपुर गाँव से सटे हुए गाँव है - उत्तर में रतनपुरा और वागदरी, पूर्व में गणेशपुर, दक्षिण में भचडीया और पश्चिम में सवगड गाँव है। खेमपुर एक राजस्व गाँव है, जिसमें निम्न फलें हैं-

1. मोलाईफला
2. नवाघरा
3. पाटीदार बस्ती
4. यादव बस्ती

मुख्य खेमपुर गाँव में ही ग्राम पंचायत भवन है। खेमपुर गाँव में शिलालेख वर्ष 2018 में हो चुका है और गाँव सभा का गठन भी उसी दिन कर दिया गया। खेमपुर गाँव में 600 घर हैं जिनकी आबादी करीब 2000 है। गाँव में एस. टी. जाति के अलावा ओबीसी जाति के लोग निवास करते हैं। एस.टी. जाति में परमार, ननोमा, कटारा, अहारी, ओ.बी.सी. जाति में पाटीदार, सुथार समाज के लोग हैं। गाँव में अधिकतर लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। पेसा कानून की शक्ति के तहत ही अभी गाँव सभा ने शराब बंदी करवाई है। हर माह एक निश्चित तारीख को गाँव सभा की बैठक की जाती है। जिसमें गाँव की समस्याओं तथा आपसी मुद्दों पर बातचीत की जाती है।

गाँव की पूरी जमीन 491.99 हेक्टर है जिसमें कृषि योग्य जमीन, बेनामी जमीन तथा चरागाह की जमीन है। गाँव में जंगल की जमीन है किन्तु ये वन विभाग के कब्जे में है। गाँव में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन के नाम पर गाँव में 2 मंदिर, 2 चौराहा, 2 नहर, 20 कुआ, 1 तालाब, 3श्मशान घाट, 1 सामुदायिक भवन, 1 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 1 पंचायत भवन, 2 प्रा. विद्यालय और 1 मा. विद्यालय, 1 आंगनवाड़ी, 1 निर्माणाधीन बीज गोदाम है।

## **आवागमन की स्थिति**

गाँव के भीतर से 4 पक्की सड़के गुजरती हैं जो वागदरी, भचडिया और सवगड निकलती हैं। गाँव में इसके अलावा 5 सी.सी. सड़क और 5 कच्ची सड़क हैं। वागदरी जाने वाली पक्की सड़क काफी ज्यादा टूट गयी है उसमें से कंक्रीट गिट्टी निकल गयी है। और गाँव के भीतर ले जाने वाली रोड आधी सी.सी. रोड तथा आधी पक्की रोड है लेकिन यह काफी टूट गयी है। गाँव की मुख्य सड़क जो भचडिया - खेमपुर जाती है उस पर प्राइवेट बस, ऑटो, जीप तथा निजी वाहन गाँव के दूसरे फलों में जाने के लिए मिल जाते हैं, गाँव के फलों में केवल निजी वाहन जैसे मोटर साइकिल, ऑटो या पैदल जाया जा सकता है। खरिदारी के लिए बड़ा बाजार हथाई में है और मुख्य बाजार इंगरपुर 35 किमी दूर आना पड़ता है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरिदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरिदारी की जाती है। इंगरपुर आने के लिए मुख्य सड़क से बस, जीप या ऑटो मिल जाता है।

## **स्वास्थ्य व शिक्षा**

गाँव में 2 प्राइमरी विद्यालय तथा 1 उच्च माध्यमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूलों की छत से बारिश में पानी टपकता है और बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय भी नहीं है। उच्च माध्यमिक स्कूल में खेल के मैदान की बाउन्ड्री नहीं है और शौचालय की हालत जर्जर है, जिसके मरम्मत के लिए वे प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। उच्च शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे डूंगरपुर में ही कमरा किराये पर लेकर रहते हैं।

गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है जो सही हालत में है और दवाइयाँ भी मिल जाती है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बड़ा हॉस्पिटल 35 किमी दूर डूंगरपुर में है।

## **सरकारी योजनाएँ**

खेमपुर गाँव के अधिकतर घर पाटीदार समाज के हैं जो की शिक्षा, कृषि और धन संपदा के मामले दूसरे समाज के लोगो से अधिक सम्पन्न हैं। पाटीदार समाज के सभी घरों में बिजली है। इसके अलावा भी दूसरे घरों में भी बिजली और शौचालय की सुविधा है। गाँव में 90 इंदिरा आवास और 1 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। खेमपुर गाँव में 70 प्रतिशत घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल चुका है।

## **कृषि और रोजगार की स्थिति**

गाँव में कृषि जमीन का ज्यादा हिस्सा पाटीदार समाज के पास है जिसपर गेहूँ, मक्का, उड़द, मूँग, चावल और चना की खेती की जाती है। पाटीदार समाज के पास सिंचाई के लिए अच्छे संसाधन हैं जैसे बोरवेल, मोटर, गहरे कुएं और समतल जमीन। दूसरे समाज के लोग भी खेती करते हैं लेकिन सिंचाई और समतल भूमि के अभाव में यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही अनाज हो पाता है। रोजगार के नाम पर मनरेगा और कड़िया मजदूरी करते हैं या डूंगरपुर शहर में आते हैं और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते हैं, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते हैं।

## **सिंचाई की व्यवस्था**

सिंचाई के लिए 1 तालाब है जिससे सोम नहर निकलती है। कुआँ, नहर, बोरवेल की सुविधा है लेकिन मध्य ग्रीष्म ऋतु में पानी का जल स्तर निचे चला जाता है और इनमें पानी की कमी हो जाती है। तालाब ज्यादा गहरा नहीं है और नहर भी टूटी हुई है लगभग 10 साल से पानी आना बंद हो गया है।

## **जंगल व चारागाह-बिलानाम जमीन**

गाँव का जंगल और पहाड़ दोनों ही वन विभाग के कब्जे में हैं। पूरे पहाड़ पर विदेशी बबूल उगा है जिसे पशु भी नहीं खाते हैं। जंगल में भी कटीली झाड़िया और बबूल के पेड़ उगे हैं। इनकी लकड़ी ना तो गाँववासी जलाते हैं ना ही ये किसी और काम आती है। बिलानाम जमीन गाँव के कब्जे में है।

**खेमपुर गाँव की विभिन्न चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-**

### **प्राकृतिक संसाधनों का विघटन**

गाँव में जंगल उजाड़ हो गया है, जहां आज से 30 साल पूर्व पहाड़ियाँ और जंगल हरा-भरा था, वहां पर अभी वर्तमान में कटीली झाड़िया और बबूल के पेड़ हैं, झाड़िया जहरीली हैं जिन्हें पशु भी नहीं खाते हैं। खली जमीन पर लोगों ने कब्जे करके अपने मकान-खेत बना लिये हैं। समतल जमीन पर जंगल पूरी तरह से खत्म हो गया है। गाँव में 1 पहाड़ है। गाँव के जंगल और पहाड़ वन विभाग के कब्जे में है।

### **आवागमन की समस्या**

गाँव के भीतर से 4 पक्की सड़के गुजरती हैं। वागदरी जाने वाली पक्की सड़क काफी ज्यादा टूट गयी है उसमें से कंक्रीट गिट्टी निकल गयी है। गाँव के भीतर ले जाने वाली रोड आधी सी.सी. रोड तथा आधी पक्की रोड है लेकिन यह काफी टूट चुकी है। गाँव में इसके अलावा 5 सी.सी. सड़क और 5 कच्ची सड़क हैं। गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए अधिकतर कच्ची सड़क ही हैं। पक्की सड़क पर गिट्टी निकलने व खड्डों की वजह से अक्सर दुर्घटना की आशंका रहती है।

### **भूमि व जल प्रबंधन की कमी**

खेमपुर गाँव में लोगों ने बिलानाम जमीन पर कब्जा कर रखा है। गाँव में ज्यादा लोग पाटीदार समाज के हैं और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा जमीन भी है। लोगों के पास कब्जे में 8 से 15 बीघा या इससे अधिक जमीन है लेकिन जो खातेदारी हक मिला है उस हक में न्यूनतम कृषि भूमि दो बीघा और अधिकतम पांच बीघा है। गाँव में अधिकतर लोगों को जमीन के खातेदारी पट्टे नहीं मिले हैं। खेतों को समतलीकरण की आवश्यकता है और असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश की पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है। गाँव में 1 ही तालाब है लेकिन गहराई कम होने के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। गाँव में पानी का स्तर 250 फुट से नीचे है। गाँव में 20 कुएं हैं, जिनमें साल के ग्रीष्म ऋतु के अंत तक पानी खत्म हो जाता है। गाँव में 1 टूटी हुई नहर है जिससे पिछले 10 साल से पानी की आवक नहीं हुई है। गाँव में 22 हेण्डपम्प हैं। जिनमें से 15 गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। सभी हेण्डपम्प और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। वर्षा के जल को संरक्षित करने के विषय की ओर हाल फिलहाल गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

### **पशुपालन संबंधित समस्या**

गाँव में लोग गाय, बैल, भैंस व बकरी पालन करते हैं। गाँव में चरागाह की जमीन बहुत कम है। खेती में सिंचाई के पानी की कमी के कारण पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जाता है। पर्याप्त चारा न मिलने की वजह से दुधारू पशु दूध भी कम देते हैं। खेतों में जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पड़ता है। चारे की

एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते हैं या फिर 3-4परिवार वाले मिल कर 15000 से 18000 रूपये में भूसे का ट्रक खरीदते हैं।

### **शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर**

गाँव में 600 घर हैं, लेकिन पढने वाले बच्चों के लिए गाँव में 2 प्राइमरी विद्यालय तथा 1 उच्च माध्यमिक स्कूल है। तीनों स्कूलों में विष्याध्यापको की कमी है, अध्यापक समय पर नहीं आते हैं। प्राथमिक स्कूलों की छत से बारिश में पानी टपकता है और बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय भी नहीं है। उच्च माध्यमिक स्कूल में खेल के मैदान की बाउन्डी नहीं है और शौचालय की हालत जर्जर है, जिसके मरम्मत के लिए वे प्रार्थना पत्र दे चुके हैं।

उपस्वास्थ्य केन्द्र गाँव में पाटीदार बस्ती में है, बड़ा हॉस्पिटल गाँव से 35 किमी दूर डूंगरपुर शहर में है जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है।

### **कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति**

खेमपुर गाँव के किसानों का एक बड़ा तबका अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं उगा पाता है, केवल बारिश के मौसम में ही मुख्य फसल उगा ली जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जिन खेतों में फसल उग रही है वे कुआं व बोरवेल के पानी से सिंचित हैं। गाँव में भू-जल स्तर 250 फुट से भी नीचे चला गया है। अगर वर्तमान में भू-जल स्तर इतना गहराचला गया है तो कुछ सालों बाद गाँव में पानी का स्तर और भी अधिक गहराई तक चला जाएगा, यह एक विकट समस्या बनने वाली है। इसके साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बारिश की मात्रा और पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो गाँव में पीने तथा कृषि के लिए पानी का बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। गाँव में सिंचाई के पानी की व्यवस्था के लिये करीब 20 कुएँ, 1 तालाब है। लेकिन अधिकतर गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं। गाँव में गेहूँ, ग्वार, मक्का, उडद, तुहर, चने की खेती की जाती है, जो कि केवल 4 या 5 माह ही चल पाता है, खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दूकान गाँव में ही खेमपुर में है जहां गेहूँ मिलता है, चीनी तथा केरोसीन त्योंहारों पर ही मिलता है। राशन दुकान पर पाँस मशीन की भी समस्या रहती है।

### **आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी**

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन खेती और नरेगा है, अन्यथा मजदूरी एक मात्र आजीविका चलाने का साधन है। गाँव के एस.टी और एस.सी. समाज के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते हैं। गाँव में नरेगा के काम में गाँव की ज्यादातर महिलायें जाती हैं। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 120 रूपये तक ही दी जाती है।

**गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-**

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नहर तालाब कुआं हैंडपम्प बोरेवेल	बारिश का पानी जमा होने से एक तालाब बन गया है। लेकिन वह भी गहरा नहीं है तो पानी नहीं टिक पाता है, बारिश के मौसम में चालू रहता है लेकिन बारिश के मौसम के बाद सूख जाता है। 1 नहर है जिनकी हालत खस्ता और टूटी हुई है। 10 सालों से उसमें पानी नहीं आया है। गाँव में 20 कुएं और 22 हैंडपंप है लेकिन आधे से ज्यादा सूखे हैं या पानी नहीं आता है, जो चालू हैं उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। गाँवमें तालाब के सूख जाने से गर्मी समाप्त होने से पहले ही सभी में पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में मवेशियों के पीने के पानी की समस्या हो जाती है। गर्मी में बोरेवेल में भी पानी कम हो जाता है।	गाँव वासियों के अनुसार यदि तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बने तो ज्यादा समय तक पानी रह सकता है और सिंचाई भी पूरी हो सकती है। टूटी हुई नहर को भी ठीक करवा के सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। छोटी पहाड़ीयों पर कच्चे पक्के चेकडेम बनाये जाए तो गाँव में जमीनी पानी का तो जलस्तर उंचा होगा ही तालाब में भी पानी अधिक समय तक रुक जाएगा और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। कुएं रिचार्ज करके जल स्तर उंचा किया जा सकता है। गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चारागाह	गाँव के जंगल और पहाड़ पर वन विभाग का कब्ज़ा है लेकिन बिलानाम जमीन अभी गाँव के कब्जे में है। अपने अपने कब्जे की का पट्टा सभी को नहीं मिला है। जिन्हें मिला है वो परिवार और पशुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है। जमीन समतल नहीं है, अधिकतर छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है। गाँव की चारागाह जमीन पर सरकार का कब्ज़ा है। समतल भूमि ही सिंचित है असिंचित भूमि परबरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	सभी को उनकी हक की जमीन का पट्टा मिले। गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को सरकार की अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव की पक्की सड़के टूट गयी है उनमें खड्डे पड़ गये हैं। कच्ची सड़के और सी.सी. सड़क की हालत भी खराब है। सड़को के किनारे नालियों के न होने से	गाँव की पक्की सड़क को सही किया जाये। यदि गाँव के सभी कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और सी.सी. सड़कों को चौड़ा करके पुनः बनाया जाये। साथ

	गन्दा पानी रोड पर आ जाता है ।	ही पक्की सड़कों के किनारों पर नालियाँ निकाली जाये और रोड लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए ।
स्कूल	गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल और 1 उच्च माध्यमिक स्कूल है। प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। उच्च माध्यमिक स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है । स्कूलों में अध्यापक भी कम है तीनों स्कूलों में कम से कम 21 अध्यापकों की आवश्यकता है ।	प्राइमरी स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवा कर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। उच्च माध्यमिक स्कूल के शौचालय की भी मरम्मत करवाई जा सकती है। खेल के मैदान की बाउन्ड्री बना कर सुरक्षित किया जा सकता है । पीने के पानी के लिए आर.ओ. लगाया जा सकता है । शिक्षा विभाग को पत्र लिख कर अध्यापकों की नियुक्ति करवाना ।
चौराहा	गाँव के चौराहे पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और ना ही शौचालय है	छोटा आर.ओ. प्लांट और शौचालय निर्माण करवाना है ।
शमशान घाट	गाँव का दोनों शमशान घाट पूरी तरह से टूट चुके हैं, ना तो वहां पर टीनशेड है ना ही चबूतरा है।	नए सिरे से निर्माण करवाना है और एक बैठक के लिए भवन बनवाना है ।

**गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता**

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	शिक्षा सम्बंधित समस्या	सार्वजनिक	गाँव के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रों की तुलना में अध्यापक कम है । जो नियुक्त है वो भी समय पर नहीं आते है । प्राइमरी स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है। उच्च माध्यमिक स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति	गाँव के स्कूलों में पूरे अध्यापक लगाये जाये और उच्च माध्यमिक स्कूल में सभी व्यवस्थाये पूरी और अच्छी दी जाये । प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत करवाई जाये । अध्यापकों को समय पर आने के लिए पाबंद किया जाना चाहिये । स्कूल में आर.ओ. लगाया जाये ।	तात्कालिक

			सही नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।		
2	पेयजल की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में 20 कुएं और 22 हैंडपंप हैं लेकिन आधे से ज्यादा सूखे हैं या पानी नहीं आता है, सभी चालू हैंडपंप और बोरवेल का पानी फ्लोराइड से दूषित है। गर्मी में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। गाँव का जलस्तर 250 फिट से निचे चला गया है।	बंद पड़े हैंडपंप को चालू करवाना और चालू हैंडपंप जो अच्छा पानी देते हैं उनके उपर छोटे आर.ओ. प्लांट लगाये जा सकते हैं। गाँव के दूषित जल से प्रभावित बस्ती में छोटे आर.ओ. प्लांट लगाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए। गाँव में पहाडियों पर कच्चे पक्के चेकडैम निर्माण करना और गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है।	दीर्घकालिक
3	कृषि संबंधी समस्या	व्यक्तिगत / सार्वजनिक	गाँव की अधिकतर भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। सिंचाई के लिए एक नहर थी वो भी काफी समय से बंद है। 1 तालाब है लेकिन कम गहरा होने और बोरवेल की संख्या अधिक होने के कारण पानी जल्दी खत्म हो जाता है।	खेतों को गाँव सभा द्वारा प्रस्ताव लेकर अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। दैनिक उपयोग में लेने के लिए पानी के टांके बनवाना।	तात्कालिक
4	रास्ते की	सार्वजनिक	गाँव की पक्की सड़क टूट	गाँवसभा कमेटियों के गठन	तात्कालिक



	<b>समस्या</b>		गयी है, गाडियों के गिट्टी में फिसलने से दुर्घटना होती रहती है। सी.सी. सड़के भी टूट गयी है, कच्चे रास्ते की भी समस्या रहती है।	के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और टूटे हुए रास्तों को फिर से ठीक करना और कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना। सड़क किनारे नालियों की व्यवस्था और रोड लाइट की व्यवस्था करना।	
5	<b>सरकारी योजनाओं की सही क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या</b>	<b>व्यक्तिगत</b>	गाँव कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनका नाम पेंशन सुविधा से नहीं जुड़ा है। पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है। आवास योजना में भी जिनके मकान बन गये हैं उनको पूरा भुगतान नहीं हुआ है। शौचालय निर्माण के किस्ते भी कुछ लोगों की बाकी हैं।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	<b>तात्कालिक</b>
6	<b>काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना</b>	<b>सार्वजनिक</b>	वर्तमान में सरकार ने जमीनों के पट्टे देना बंद कर दिया है। जिससे जो लोग कई पीढ़ियों से गाँवमें बसे हैं उन्हें उनकी काबिज जमीन का खातेदारी हक नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में	पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	<b>दीर्घकालिक</b>

			उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।		
7	खाद्य सुरक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलना	सार्वजनिक	राशन की दूकान पर अक्सर पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलना या इन्टरनेट से कनेक्ट न होने की समस्या आती रहती है। अनाज में केवल गेहूँ दिया जाता है, अन्य रसोई का सामान नहीं मिलता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी मिलना बाकी है।	जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है उनके नाम योजना में जुड़वाने के लिए गाँव सभा में प्रस्ताव लेना। और ऐसे जगह लगाना जहाँ इन्टरनेट की समस्या ना हो।	तात्कालिक

#### संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	टूटी हुई पक्की रोड को सही नहीं करना, कच्चे रास्तों को सी.सी. सड़क से नहीं जोड़ना और रोड किनारे नालिया और लाइट की व्यवस्था न होना।	रास्ते ठीक होने से गाँवमें साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।सड़क सही होने और रोड लाइट लगने से दुर्घटनाओ की संभावना कम हो जायेगी।	गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम नहीं करना, सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगो का गाँव सभा में नहीं आना।
जल तालाब नहर कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में 1 तालाब है लेकिन कम गहरा होने की वजह से गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है। बोरवेल भी ज्यादा है,	कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, नहर को सही करके पानी फिर से चालू किया जाये। पानी को रोकने के लिए पक्की टंकी का निर्माण करवाना	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

	जिससे भूमिगत स्तर निचे जा रहा है। कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना। जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना।	। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो सिंचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता है। बोरवेल के बजाय कुओ से पानी निकालना। ताकि जल स्तर एकदम से निचे न जाये।	
<b>आजीविका के साधन</b>	गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। उन्नत कृषि तकनीकी का अभाव अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। घरेलू उद्योग भी किये जा सकते हैं।	उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
<b>भूमि</b>	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना। जंगल में बबूल और कटीली झाड़िया हैं जिससे भूमि भी बंजर हो रही है।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँवकी सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।



शौचालय बकाया भुगतान	3
<b>स्कूल के सम्बन्ध में</b>	
रा.उ.मा. वि. खेमपुर में अध्यापक नियुक्ति	14
रा.प्रा.वि. मोलाईफला में अध्यापक नियुक्ति	5
रा.प्रा.वि. नवाघरा में अध्यापक नियुक्ति	2
रा.उ.मा. वि. खेमपुर में खेल का मैदान, परकोटा व फर्नीचर	
रा.प्रा.वि. मोलाईफला में परकोटा निर्माण	
रा.प्रा.वि. नवाघरा में खेल मैदान निर्माण	
राशन की दुकान के सम्बन्ध में	1
आंगनवाडी केंद्र निर्माण	3
मा-बाड़ी केंद्र निर्माण	1
खेमपुर तालाब गहरीकरण कार्य	1
हैंडपंप नया / पुराना मरम्मत	4+3
<b>केटेगरी 4 के कार्य</b>	
खेत समतलीकरण	60
मेड़बंदी, रिंगवाल	
कुआं गहरीकरण मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	
एनिकट निर्माण	1
चेकडैम निर्माण	7
शमशान घाट निर्माण	2
आर.ओ. निर्माण	1
वृक्षारोपण	4
उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण	1
सामुदायिक भवन निर्माण	1
चारागाह भूमि के चारों ओर परकोटा निर्माण	
सामाजिक विवाद निपटारा	
सामाजिक कुरीतियों पर रोक	
बकाया नरेगा भुगतान	2
सामुदायिक वन दावा के सम्बन्ध में	

# गाँव विकास प्रस्ताव

राजस्थान सरकार सेवा अधिनियम 1999 नियम 2011 के अन्तर्गत खान मैनांक 113/1208 को खेमपुर गांव की गांव सभा की बैठक पंचायत बनाने पर आदेशित की गई। गांव सभा ने खेमपुर गांव वासियों ने जो रूपरेखा प्रस्ताव को अहम अंगुना दिनांक 18/08/2011 में अक्षा की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक में निम्न विषय प्रस्तावों पर चर्चा और उनका अनुमोदन किया गया।

इनेष्टा -

- 1) पेंशन के सम्बन्ध में [ वृद्ध पेंशन, प्रीकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वामन, एकलरशि ]
- 2) आवास के सम्बन्ध में - नया पी. एस. और सी. एस. आवास,
- 3) शौचालय के सम्बन्ध में,
- 4) मिठानब में शौचालयों की नियमित नद मिठानब आदि के सम्बन्ध में,
- 5) राशन की दुकान के सम्बन्ध में,
- 6) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में,
- 7) आंबानवाडी के सम्बन्ध में,
- 8) मौ-वाडी केन्द्र के सम्बन्ध में,
- 9) तलाब गहरीकरण के सम्बन्ध में,
- 10) एंण्डपम्य मरम्मत व नद ट्रेडपम्य के सम्बन्ध में,
- 11) खेत समतलीकरण, कुंआ गहरीकरण, कुंआ मरम्मत, पशु बांडा, आदि के सम्बन्ध में,
- 12) एनीकर निर्माण के सम्बन्ध में,
- 13) ऊपर उगे टाऊट के सम्बन्ध में,
- 14) रासशान वार के सम्बन्ध में,
- 15) सामुदायिक वन दावा यत्र वेत कलने के सम्बन्ध में,
- 16) वृक्षा रोपण के सम्बन्ध में,
- 17) शांति और विवाद निवारण के सम्बन्ध में,
- 18) सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में (टाउनपञ्च, लासिवा, मोंताना, बरसफस)
- 19) सामुदायिक छतन के सम्बन्ध में,
- 20) उप-संबन्ध के सम्बन्ध में,
- 21) मराठाए बुमि के सम्बन्ध में,

मेवा में,  
 श्रीमान सरपंच/मंचिव महोदय,  
 ग्राम पंचायत ...  
 विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,  
 हम आपको ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत मंत्रिध्यान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (1) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे हैं जिसकी आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजीयन कर अंतिम कार्यवाही करने हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ...
2. श्रीमान जिना कलेक्टर महोदय ...
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ...
4. निजी रिकॉर्ड

भवदीय  
 ग्राम सभा सदस्यगण  
 ग्राम ...  
 जयदीप ...  
 अध्यक्ष  
 श्रीमान ...  
 श्रीमान ...  
 श्रीमान ...  
 श्रीमान ...

25/9/2011  
 विना ...  
 पंच. कार्यवाही ...

प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुआ	अनुमानित राशि	अनुमोदित विभाग	क्या कर
मेंशन के सम्बन्ध में - ए) वृद्धावस्था पेंशन		(क) वृद्धावस्था पेंशन -	समान कल्याण विभाग	गारम ग्रेजु वर्कश वृद्धि सोसा चक्र
ब) विद्या पेंशन के सम्बन्ध में - क) केंचु। नाबा अडारी नगरी	प्रस्ताव 2 में प्रस्तावित वृद्धावस्था पेंशन, विद्यावा पेंशन, सिक्तावा पेंशन, पालनहार, के अलावा प्रस्तावित सर्वसम्मति से पारित किया जाए तथा सिक्तावा पेंशन लोगों को जातक की जानकारी दी जाए -	(ख) सिक्तावा पेंशन 750 x 1 = 750/- प्रतिमाह	समान कल्याण विभाग	चक्र
ख) विकलांग पेंशन ग) लातरांकर / गौतमलायक (लॉन्ग फ्लो) घ) तुम्की / जगदीश ननोमा	① रुपनी / कपरा ननोमा ② शंकरलाल / वंदना ननोमा ③ गौतमलायक / कपरा ननोमा ④ गणेशलाल / मोदरानी अडारी ⑤ कनका / ललेशकर जादव ⑥ हितेश / यशजी यादव	(क) सिक्तावा पेंशन 750 x 2 = 1500/- प्रतिमाह	समान कल्याण विभाग	चक्र
ड) पालनहार ① डटली / रूपसी अडारी ② लडका - 12 वर्ष, लडकी = 8 वर्ष ③ तुम्की प्रकाश जादव ④ लडकी के अग्रज आवास के सम्बन्ध में - (दर आवाक) [P.M]		(ख) पालनहार 6-18 वर्ष = 1000 x 3 = 3000/- प्रतिमाह	समान कल्याण विभाग	चक्र
1. शंकरलाल / वंदना ननोमा 2. गुरजनलाल / गौतमलायक वल्लभुआ 3. कनका / ललेशकर / गौतमलायक वल्लभुआ 4. गौतमलायक / कपरा वल्लभुआ 5. रूपसी / कपरा ननोमा 6. मुकेश / कनका वल्लभुआ		आवास (P.M) जादव नए आवेदन 35 x 148,000 = 5180000/-	समान कल्याण विभाग [प्रधानमंत्री आवास योजना]	चक्र समीक्षा

प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुआ	अनुमानित राशि	अनुमोदित विभाग	क्या कर
21. सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में (क) डायन प्रकाश (ख) गौतमलायक (ग) वल्लभुआ (घ) वल्लभुआ	प्रस्ताव 2 नं. 22 में प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रकाश, गौतमलायक, वल्लभुआ गौतमलायक को सम्बन्धित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।			गौतमलायक गौतमलायक चक्र
22. गौतमलायक वल्लभुआ के सम्बन्ध में गौतमलायक वल्लभुआ के सम्बन्ध में क्या कर है - ① अडारी / गौतमलायक ② प्रभु / रूपसी ननोमा	प्रस्ताव 2 नं. 22 में प्रस्तावित समान कल्याण विभाग गौतमलायक वल्लभुआ के सम्बन्धित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।			गौतमलायक गौतमलायक गौतमलायक
23. सामाजिक वन दावा करने के सम्बन्ध में -	प्रस्ताव 2 नं. 23 में प्रस्तावित सामाजिक वन दावा करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।		वन विभाग	चक्र चक्र चक्र
गौतमलायक की कांस्ट्रक्शन को निम्नलिखित लोगों को अधिकार ① रूपसी / कपरा ननोमा ② शंकर / वंदना ननोमा ③ गौतमलायक / कपरा ननोमा ④ गणेशलाल / मोदरानी अडारी ⑤ कनका / ललेशकर जादव	अग्रिम कि रूने के लिए प्रस्तावित किया गया है - ① हितेश / यशजी यादव ② कानू / कनका वल्लभुआ ③ नारायण / रमेश अडारी ④ शंकर / वंदना ननोमा ⑤ प्रभु / अडारी ननोमा	अनुमानित राशि द्वारा गौतमलायक की देकर गौतमलायक की रूपसी रमेश (अग्रिम)	वन विभाग	चक्र चक्र चक्र
		अग्रिम (गौतमलायक)	वन विभाग	चक्र चक्र चक्र

**विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)**

भीमराज	9898712522
कांता	
शंकर ननोमा	8769286709
पुष्पा	8003657434
कमला	9680483472
सविता	7742344254